SWAMI KESHWANAND RAJASTHAN AGRICULTURAL UNIVERSITY
National Highway No. 15, Sriganganagar Road, Beechwal - Bikaner – 334006 (Rajasthan)
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 15, श्रीगंगानगर रोड़, बीछवाल - बीकानेर - 334006 (राजस्थान)
Phone : 0151-2250025 Fax : 0151-2250025 E-mail: reg@raubikaner.org

क्रमांक एफ. 484 / स्वाकेराकृवि / स्था. / ग्रुप–2 / 2022 / 1137 दिनांक : 17/12/2022

आदेश

वाद–करण को रोकने तथा विश्वविद्यालय कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धित परिवेदनाओं का अध्ययन कर परिवादी कर्मचारी को, यदि अनुतोष देय हो तो, अनुतोष देने की सिफारिश करने, परिवादी कार्मिक के मन में उत्पन्न किसी भी प्रकार की भ्रान्ति को दूर कर अनावश्यक वादकरण को समाप्त करने हेतु निम्न प्रकार से परिवेदना निवारण समिति का गठन किया जाता है: –

1.	निदेशक अनुसंधान (कृषि)	पदेन अध्यक्ष
2.	कुलसचिव	सदस्य
3.	वित्त नियंत्रक	सदस्य
4.	सम्बन्धित अधिष्ठाता / निदेशक	सदस्य
5.	विशेषाधिकारी	सदस्य
6	विधि अधिकारी	सदस्य सचिव

समस्त अधिष्ठाता / निदेशक / क्षेत्रीय निदेशक / प्रभारी अधिकारी उक्त परिवेदना निवारण समिति के गठन की सूचना अपने अधिनस्थ कार्मिकों को देने हेतु इस आदेश की एक प्रति अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगे। परिवेदना निवारण प्रकरणों की सुनवाई की प्रकिया इस आदेश के साथ संलग्न है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(कपूर शंकर मान)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 समस्त अधिष्ठाता / निदेशक / क्षेत्रीय निदेशक / प्रभारी अधिकारी / वित्त नियंत्रक.................................... ...., स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर
2 विधि अधिकारी / भू–सम्पत्ति अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक, स्वाकेराकृवि, बीकानेर
3 समिति सदस्य..
4 प्रभारी अधिकारी, सूचना प्रबंधन एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग केन्द्र(सीमका), स्वाकेराकृवि,बीकानेर को आदेश वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने बाबत।
5 समस्त अनुभाग अधिकारी, प्रशासनिक कार्यालय, स्वाकेराकृवि, बीकानेर
6 निजी सचिव कुलपति / निजी सहायक कुलसचिव, स्वाकेराकृवि, बीकानेर
7 आदेश पत्रावली ।

(कपूर शंकर मान)
कुलसचिव

स्वामी केशवानंद
राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।

परिवेदना निवारण समिति के समक्ष प्रकरणों की सुनवाई हेतु प्रकिया

1 परिवादी को अपनी परिवेदना को स्पष्ट शब्दो में वर्णित करते हुए अभिलेख सहित सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से समिति संयोजक, परिवेदना निवारण समिति को प्रेषित करनी होगी। नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त नही होने वाले अभ्यावेदनों पर विचार नही किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार किया जायेगा।

2 समिति संबंधित प्रकरणों पर विश्वविद्यालय संस्थापन शाखा से प्रकरण में विश्वविद्यालय स्तर पर पूर्व में हुई कार्यवाही की जानकारी/अभिलेख प्राप्त कर निस्तारण की कार्यवाही करेगी।

3 प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी परिवादी कार्मिक की परिवेदना के सन्दर्भ में एक तथ्यात्मक विवरण परिवेदना के साथ संलग्न कर प्रेषित करेगें। सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी नियमों/परिनियमों का हवाला देते हुए परिवेदना पर अपनी टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित करेंगे ।

4 परिवेदना–पत्र पर परिवेदना निवारण समिति सदस्यों द्वारा समुचित विचार–विमर्श कर निर्णय लिया जायेगा। आवश्यक होने पर परिवादी कार्मिक को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए तलब किया जायेगा।

5 समुचित अध्ययन के पश्चात प्रकरण में अंतिम निर्णय हेतु समिति अपनी अनुशंसा/रिपोर्ट प्रेषित करेगी।

6 जो प्रकरण पहले से ही न्यायालय एवं विश्वविद्यालय प्रशासनिक स्तर पर नियमानुसार निर्णित हो चुके है, ऐसे प्रकरण पर परिवेदना निवारण समिति विचार नही करेगी।

7 परिवेदना निवारण समिति की अनुशंसा किसी विधिक कार्यवाही का आधार नही होगी।

8 परिवेदना निवारण समिति की बैठक प्रत्येक माह की 15 वी तारीख को होगी। उक्त दिन अवकाश रहने की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में बैठक आयोजित होगी।

(कपूर शंकर मान)
कुलसचिव